

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13887/2021

महिपाल पुत्र श्री गुलझारी लाल, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी गाँव कासनी की ढाणी,
तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, अपने सहायक कार्मिक अधिकारी, (भर्ती और प्रशिक्षण), रेलवे भर्ती सेल,
उत्तर पश्चिम रेलवे, दुर्गापुरा, रेलवे स्टेशन, जयपुर के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री गायत्री राठौड़, वरिष्ठ अधिवक्ता
सहायक श्री रन सिंह, अधिवक्ता के साथ।

प्रतिवादी की ओर से : श्री आनंद शर्मा, अधिवक्ता,
श्री आलम साहनी, अधिवक्ता के साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश11/03/2024

अवनिष झिंगन, जे [मौखिक]:-

- यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित 11.11.2021 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें मूल आवेदन (ओए) को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने उत्तर पश्चिम रेलवे भर्ती सेल द्वारा जारी 16.12.2010 की भर्ती अधिसूचना के अनुसरण में, वेतन बैंड-I में पद के लिए अनुसूचित जाति की श्रेणी में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि आवेदन में उल्लिखित जन्मतिथि प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि से मेल नहीं खा रही थी। अधिसूचना के खंड-8.11 के अनुसार याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 2014 में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4217/2014 दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया और उसे न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय के लिए भेज दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर ओए को अंततः 11.11.2021 को खारिज कर दिया गया।

3. आगे बढ़ने से पहले, न्यायाधिकरण के समक्ष की गई प्रार्थनाओं को पुनरुत्पादित करना प्रासंगिक होगा:

- “(i) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिससे प्रतिवादी द्वारा जारी 16.12.2010 (अनुलग्नक-1) की विज्ञापन से संबंधित कार्यवाई को रद्द किया जाए;
- (ii) प्रतिवादी की चुनौती दिए गए कार्यवाई को शून्य और अमान्य और अवैध घोषित किया जाए और आगे इसे रद्द किया जाए;
- (iii) एक उपयुक्त आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादी को कानून के अनुसार एससी श्रेणी को आरक्षण का लाभ देकर आवेदक को नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाए;
- (iv) कोई अन्य लाभकारी आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे, आवेदक के पक्ष में पारित किया जाए”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदन पत्र भरने में एक टंकण त्रुटि (typographical mistake) थी। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, खासकर जब याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आवेदन किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रामा विश्वनाथ दांडगे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में [2018(5) एसएलआर 478 (एससी)] और मनीष कथूरिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में [2018(1) एसएलआर 954 (एससी)] पर भरोसा किया गया है।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने वाला 24.07.2013 का संचार याचिकाकर्ता को दिया गया था, लेकिन इसे चुनौती नहीं दी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण ने इस बात पर विचार किया कि 2010 की अधिसूचना के अनुसरण में कोई रिक्ति नहीं थी। वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्राप्त 8 लाख आवेदनों में से, 3 लाख आवेदनों को खंड 8.11 के अनुसार खारिज कर दिया गया था और याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने से अन्य उम्मीदवारों पर असर पड़ता।
6. हमने पक्षों के वकील को सुना और दलीलों का अवलोकन किया।
7. न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों से विस्तार से निपटा। यह माना गया कि प्रभावित पक्षों को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। 2010 की अधिसूचना के अनुसरण में कोई रिक्ति नहीं थी। इसके अलावा, ओ.ए. के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई थी। 24.07.2013 के संचार को चुनौती नहीं दी गई थी।
8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा याचिकाकर्ता के लिए कोई लाभ नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि **रामा विश्वनाथ दांडगे** (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि आवेदक एक परित्यक्त महिला थी जिसके तीन बच्चे थे और पद के लिए योग्यता चौथा मानक थी, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को समायोजित करने के लिए निर्देश जारी किए। **मनीष कथूरिया और अन्य** (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि रिक्तियां उपलब्ध थीं और इसलिए उम्मीदवार को समायोजित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। प्राधिकारी तथ्यों पर भिन्न हैं।
9. चुनौती दिए गए आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनता है, याचिका खारिज की जाती है।

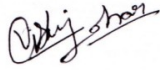
(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/21

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़